न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/237

1. सूरज कंवर पत्नी श्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना (राज0)।

— अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दूकंवर पत्नी स्व0 महेन्द्रसिंह,
2. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह,
3. विजयसिंह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह,
4. कृष्णाकंवर पुत्री स्व0 महेन्द्रसिंह,
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
5. राजेन्द्र सैनी पुत्र श्री बुधराम सैनी जाति माली निवासी ग्राम सलामपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. होशियार सिंह पुत्र श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी ग्राम किडवाना, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
7. तहसीलदार, तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)।
8. पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)।
9. उप पंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना निर्णय दिनांक 01.05.2024 अपील संख्या 92/2023 उनवानी सूरज कंवर बनाम नन्दू कंवर आदि जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 3139 तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 13.06.2023 वाके ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना को यथावत रखा गया।

उपस्थित :–

1. श्री बजरंग लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 20.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 01.05.2024 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 10.07.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3139 तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 13.06.2023 वाके ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण बउनवानी सूरजकंवर वगैरा बनाम महेन्द्र सिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 73/2008 दिनांकित 08.07.2008 को जारी तादौराने दावा प्रभावी स्टे आदेश की अवेहलना कर न्यायालय तहसीलदार द्वारा कतई अवैध अनुचित एवं अन्याय पूर्ण तरीके से तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांक 13.06.2023 वाके ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर को निरस्त फरमाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने तथा नामान्तरकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

संख्या 3139 आदेश दिनांक 13.06.2023 तहसीलदार श्रीमाधोपुर को यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 01.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट सूरज कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना दिनांक 01.05.2024 एवं नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांकित 13.06.2023 ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर महोदय नीमकाथाना का आदेश जैर अपील दिनांक 01.05.2024 व नामान्तरकरण सं0 3139 दिनांक 13.06.2023 सर्वथा गलत विरूद्ध कानून औचित्यहीन व अवैधानिक है जो खिलाफ कानून व विरुद्ध पत्रावली होने से स्थिर नही होने योग्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध व रिकार्ड व सामग्री के अध्ययन से रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 के पिता व पति महेन्द्रसिंह ने रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 के हक में उक्त विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 7 लगायत 9 के अनुचित सहयोग से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 08.07.2008 की अवहेलना करते हुये उक्त नामान्तरकरण दिनांक 05.08.2011 को रेस्पोडेन्ट सं. 9 के कार्यालय में अवैध रूप से साजपूर्वक तस्दीक किये गये विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 08.07.2008 के पूर्णरूप से प्रभावी होने की जानकारी रेस्पोडेन्ट सं० 8 पटवारी हल्का, गिरदावर व रेस्पोडेन्ट सं० 7 तहसीलदार महोदय श्रीमाधोपुर ने जो वाद पत्र अनुवानी सूरजकंवर बनाम महेन्द्रसिंह आदि में स्वयं पक्षकार होकर भली भांति जानकारी रखते हुये अपीलान्ट की जानकारी के बिना बाला बाला अवैध कार्यवाही कर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नही होकर प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य होते हुये भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है।

उक्त नामान्तरकरण सं. 3139 स्वीकार किये जाने से पूर्व रेस्पोडेन्ट सं. 7 तहसील श्रीमाधोपुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 8 पटवारी हल्का महरोली ने अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी व न ही कोई सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया और रेस्पोडेन्ट सं० 7 ने उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के स्थगन आदेश दिनांक 08.07.2008 के प्रभावी रहते हुये न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही अपीलान्ट की जानकारी के बिना बाला बाला अवैध रूप से की गई है उक्त तथ्य को योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुये विरूद्ध कानून अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है। विवादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट व अन्य सहकाश्तकारों की संयुक्त कब्जे व काश्त की अविभाजित आराजीयात है जिनमें विक्रेता को विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा दिये जाने का कोई प्रावधान नही होते हुये भी व क्रेता का विक्रीत भूमि पर कोई कब्जा नहीं होते हुये भी कब्जे की कोई जांच किए बिना ही अवैध रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य होते हुये भी योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है।

विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में माननीय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के द्वारा पारित स्थगन आदेश सं० 73/2008 का इन्द्राजात होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने रेस्पोडेन्ट सं0 5 व 6 के अनुचित प्रभाव में आकर उक्त अवैध विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2011 के आधार पर करीब 12 वर्ष की लम्बी अवधि गुजर जाने के बाद अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट सं० 5 व 6 के नाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजस्व रिकार्ड उक्त नामान्तरकरण के आधार पर दर्ज किए जाने का आदेश देने में कानूनी गलती की है व उक्त तथ्य को योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने नजर अन्दाज कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि अपीलान्ट ने उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनोती दी हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जबकि अपीलान्ट ने न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रींगस जिला सीकर के यहां एक दावा अनुवानी सुरजकंवर बनाम जयसिंह वगै0 उक्त विक्रय पत्र को निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर रखा है व उक्त दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अनुवानी सूरजकंवर बनाम जयसिंह वगैराह भी प्रस्तुत कर रखा है जिसमें दिनांक 07.03.2023 को विवादग्रस्त भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश भी पारित किया गया है उक्त तथ्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपीलान्ट की और से वरवक्त बहस निवेदन किए गये थे फिर भी योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख अपने निर्णय जैर अपील में नहीं करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है। विवादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर व न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रींगस में जैर तजवीज दावे व उनके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में स्थगन आदेश प्रभावी होते हुये भी उक्त नामान्तरकरण और अपील को खारिज करने में व अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है।

अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल प्राप्त की व अपील करने वाली थी कि दिनांक 25.06.2024 को अपीलान्ट की अचानक तबियत खराब हो गई व तेज बुखार व उल्टी दस्त से पीड़ित हो गई व डॉक्टर की सलाह से उसे दवा लेनी पड़ी व चलने फिरने की स्थिति में न होने से उसे आराम करना पड़ा और कुछ ठीक होने पर तुरन्त अपने वकील से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत कर रही है अपीलान्ट के अचानक अस्वस्थ हो जाने की वजह से व चलने फिरने की हालत में न होने की वजह से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी अपीलान्ट ने उक्त गलती जानबुझकर व इरादतन नहीं की है बल्कि अस्वस्थ होने की वजह से व मजबूरीवश हुई जिसके लिये उसे मियाद का फायदा दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट के हितों की रक्षा के लिए व न्याय व सही निर्णय के लिए अपीलान्ट को मियाद का फायदा दिया जाना प्रार्थनीय है। अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 3139 दिनांकित 13.06.2023 ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर व अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना का आदेश जैर अपील दिनांक 01.05.2024 निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना का निर्णय दिनांक 01.05.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उभयपक्षों में मुख्य विवाद विवादित भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का स्थगन आदेश दिनांक 08.07.2008 में यह पारित किया गया था कि अप्रार्थीगण को वादीगण वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित भूमि खसरा नम्बर 1727 से 1732 कुल किता 6 रकबा 0.83 है0 तन ग्राम महरोली में कदीमी बाहमी बटवारे से भंग कर प्रार्थीया के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त में मजाहमत करे ना ही बिना बटवारें के भूमि को किसी को विक्रय नहीं करें, ना ही रहन करें, पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नम्बर से कम होकर मूल दावे के संलग्न की जावे।" एवं उक्त स्थगन आदेश का जमाबन्दी में इन्द्राज होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति महेन्द्रसिंह ने विवादग्रस्त कृषि भूमि का 1/4 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2011 को रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 को विक्रय कर दी गयी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के स्थगन आदेश दिनांक 08.07.2008 का जमाबन्दी में नोट अंकित होने के बावजूद भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2011 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांक 13.06.2023 वाके ग्राम महरोली तस्दीक कर दिया गया को लेकर है। अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांक 13.06.2023 वाके ग्राम महरोली तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक किये जाने से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना ने उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 3139 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह पाया कि विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2011 के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 13.06.2023 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो नामान्तरकरण करीब 12 वर्ष के पश्चात भरा गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने तथा नामान्तरकरण संख्या 3139 आदेश दिनांक 13.06.2023 तहसीलदार श्रीमाधोपुर को यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 पारित किये गये हैं।

हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील के संलग्न दस्तावेजों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट ने उक्त विवादित भूमि में अपने 1/4 हिस्से का बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु एक वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष दावा अनुवानी सूरजकंवर बनाम महेन्द्रसिंह वगैराह मुकदमा नं0 118/2008 दिनांक 04.06.2008 को प्रस्तुत किया था। उक्त दावे में रेस्पोडेन्टान न्यायालय में उपस्थित चले आ रहे थे। उक्त दावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अनुवानी सूरजकंवर बनाम महेन्द्रसिंह आदि मुकदमा नम्बर 73/2008 को दिनांक 09.07.2008 को उक्त आशय की आदेशिका जारी की गई "अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1731 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 0.83 हैक्टर तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में कदीमी बाहमी बटवारे को भंग कर प्रार्थीया के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में मजाहमत ना करे ना ही बाहमी बटवारे में भूमि को किसी को विक्रय करें, ना ही रहन करे, पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नम्बर से कम होकर मूल दावे के सलग्न की जावे"। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित उक्त स्थगन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश दिनांक 08.07.2008 रेस्पोडेन्टान के विरुद्ध आज भी निरन्तर व नियमित रूप से उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुये प्रभावी चला आ रहा है। उक्त स्थगन आदेश की विधिवत जानकारी दावे के प्रतिवादीगण हाल रेस्पोडेन्ट्स को भली भांति चली आ रही थी। उक्त वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष आज भी विचाराधीन है। उक्त स्थगन आदेश का इन्द्राज जमाबन्दी में भी अंकित किया हुआ था।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.07.2008 को जारी स्थगन आदेश की जानकारी दावे के प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 के पिता व पति महेन्द्रसिंह को होते हुए भी उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना करने व विवादग्रस्त कृषि भूमि के 1/4 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2011 को रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 के हक में पंजीयन करवा दिया गया। स्थगन आदेश की अवहेलना करके रेस्पोडेन्टान सं. 5 व 6 के हक में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 13.06.2023 को विवादग्रस्त नामान्तरकरण सं. 3139 वाके ग्राम महरोली तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांक 13.06.2023 तस्दीक किये जाने तक विवादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी थे। इस दौरान भूमि के बेचान इत्यादि पर रोक होने के कारण कोई भी किया गया बेचान न्यायिक दृष्टि से प्रभाव शून्य माने योग्य है। किसी भी विक्रय पत्र पर क्रेता सावधान का नियम लागू होता है व स्टे के दौरान किये गये किसी भी क्रय के लिये क्रेता खुद जिम्मेदार है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के स्थगन आदेश दिनांक 08.07.2008 का जमाबन्दी में नोट अंकित होने के बावजूद भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2011 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांक 13.06.2023 ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर स्वीकृत किया जाने में विधिक त्रुटि की गयी थी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2011 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांक 13.06.2023 ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर स्वीकृत किये जाने से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के समक्ष अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2024 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांक 13.06.2023 ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर को निरस्त किया जाता है।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2024 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 3139 दिनांक 13.06.2023 ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर को निरस्त किया जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर